संख्या-41 / 2015 / 1681/12-3-2015-100(4)/2015

प्रेषक,

अमित मोहन प्रसाद
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-3 **लखनऊ:: दिनांक: 02 नवम्बर, 2015**

विषय:- प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलम्बन योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-प्रसार-327/टी.ए./प्र.कृ.उ.स्वाव./2015-16, दिनांक 01.7.2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि किसानो के हित लाभ के लिए शासन द्वारा कृषि में प्रशिक्षित युवाओं की सेवाओ का उपयोग करने हेतु प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलम्बन योजना के क्रियान्वयन किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस कार्यक्रम का उद्वेश्य किसानो को उनके फसल उत्पादो के लिए कृषि केन्द्र (एग्री जंक्शन) के बैनर तले समस्त सुविधाएं 'वन स्टाप शाप' के माध्यम से उपलब्ध कराया जाना है। ये कृषि केन्द्र निम्नवत सेवाओ को एक छत के नीचे उपलब्ध कराए जाने की सुविधा प्रदान करेंगें:-

1. उच्च गुणवत्ता के बीज, उर्वरक, जैव उर्वरक, माइक्रोन्यूटियन्ट्स, वर्मी कम्पोस्ट, कीटनाशक तथा जैव कीटनाशको सहित समस्त कृषि निवेशो की आपूर्ति,
2. प्रसार सेवाएं तथा कृषि प्रक्षेत्र निर्देशन,
3. मृदा परीक्षण सुविधा तथा उर्वरक उपयोग हेतु संस्तुतियां।
4. लघु कृषि यंत्रो को किराए पर उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था ,

उक्त के अतिरिक्त कृषि केन्द्रो द्वारा आवश्यकतानुसार कृषि उपकरणों की मरम्मत तथा अनुरक्षण, पशु आहार एवं मौसम/विपणन व अन्य सम्बन्धित सूचनाएं उपलब्ध कराने जैसे कार्य भी किये जाएंगे।

3- राज्य सरकार द्वारा कृषि प्रशिक्षित उद्यमियों को निम्न सुविधाएं प्रदान की जाएगी:-

1. कृषि व्यवसाय गतिविधियों के लिए लाइसेंस प्राप्त करने में सहायता तथा लाइसेंस फीस के व्यय की प्रतिपूर्ति,
2. स्वरोजगार में स्थापित होने के लिए बैंको से ऋण प्राप्त करने में सहायता तथा 5 प्रतिशत की दर से ब्याज अनुदान की व्यवस्था। यह अनुदान बैंक की बैक इण्डेड सब्सिडी के रूप में रखा जाएगा तथा वर्ष की समाप्ति पर ऋणी के खाते में क्रेडिट कर दिया जाएगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

3. एक वर्ष तक के लिए परिसर के किराए के 50 प्रतिशत की धनराशि जो प्रतिमाह रू0 1,000/से अधिक न होगी,

4. स्वतंत्र कृषि व्यवसाय केन्द्र की स्थापना हेतु कृषि व्यवसायियों को प्रशिक्षण प्रदान कराना।

4- प्रदेश के सभी विकास खण्डो एवं तहसील मुख्यालयों पर स्थापित इन Þवन स्टाप शाप्सß पर किसान गुणवत्तायुक्त कृषि निवेश एवं कृषि प्रक्षेत्र निर्देशन प्राप्त कर सकेंगे। इसी के साथ युवा कृषि स्नातक स्वंय स्वरोजगार के लिए सक्षम होंगे। वित्तीय वर्ष 2015-2016 में 1000 कृषि केन्द्र एवं अन्य ऐसे ही केन्द्रो को संचालित किये जाने की योजना है। यह योजना नाबार्ड के परामर्श एवं प्रदेश में कार्यरत सहकारी बैंक/भूमि विकास बैंक/अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको के माध्यम से क्रियाशील की जाएगी।

5- इस योजना के बारे में मुख्य-मुख्य बातें इस प्रकार है:-

पात्रता:- उत्तर प्रदेश के निवास करने वाले कृषि स्नातक/कृषि व्यवसाय प्रबन्धन स्नातक/स्नातक जो कृषि एवं सहबद्व विषयों यथा उद्यान, पशुपालन, वानिकी, दुग्ध, पशु चिकित्सा, मुर्गी पालन एवं इसी तरह की गतिविधियां जो किसी राज्य/केन्द्रीय विश्वविद्यालय या किसी अन्य विश्वविद्यालयों, जो आई0सी0ए0आर/यू0जी0सी0 द्वारा मान्यता प्राप्त हो, पात्र होंगे।

इसके अतिरिक्त उपरोक्त के अनुपलब्ध होने पर अनुभव प्राप्त कृषि में डिप्लोमाधारी/कृषि विषय में इण्टरमीडिएट पास योग्य प्राथ्ाी पर भी विचार किया जाएगा।

आयु:- अधिकतम। 40 वर्ष से अनधिक, अनुसूचित जाति/जनजाति/महिलाओं को 5 वर्ष की छूट पात्र अभ्यर्थियों में, जिनकी जन्मतिथि पहले हो, उन्हें वरीयता दी जाएगी।

योजना लागत:- रू0 4.00 लाख (अधिकतम)

ऋण सीमा :- रू0 3.50 लाख

मार्जिन मनी :- रू0 0.50 लाख (प्रोजेक्ट लागत का 12.50 प्रतिशत) ऋणी आवेदक द्वारा अभिदान किया जाएगा।

6- राज्य सरकार द्वारा अधिकतम रू0 60000/- की सहायता निम्नानुसार की जाएगी:-

अग्रिम ब्याज अनुदान रू0 42000/- 3 वर्ष के लिए प्रस्तावित कार्य हेतु परिसर किराया:- 50 प्रतिशत प्रतिमाह अधिकतम रू0 12000/-किराया (रू0 1000.00 प्रतिमाह केवल प्रथम वर्ष के लिए)

लाइसेंसिस फीस की प्रतिपूर्ति रू0 3000/-(अधिकतम)

अन्य व्यय:- अधिकतम रू0 3000/-

वितरण:- प्रशिक्षण अवधि पूर्ण करने के उपरान्त।

http://shasanadesh.up.nic.in

लाक इन पीरियड:- 36 माह।

सुविधाए:- सावधि ऋण या नगद क्रेडिट ऋण की सीमा तक।

प्रशिक्षण एवं हैण्ड होल्डिंग:

चयनित आवेदको को व्यवसाय के निमित्त ऋण प्राप्ति के पूर्व राज्य कृषि प्रबन्ध विस्तार प्रशिक्षण संस्था (समेती) रहमान खेड़ा लखनऊ/आर-सेटीज के द्वारा कम से कम 12 दिन का ग्रामीण व्यवसाय विकास योजना (आर0ई0डी0पी0) का प्रशिक्षण प्रदान कराया जाएगा।

चयन प्रक्रिया :

आवेदको के नाम सरकारी/सहकारी क्षेत्र के बैंको/भूमि विकास बैंक द्वारा राज्य सरकार की जिला स्तरीय समिति द्वारा आवेदको की प्रारम्भिक छटनी के उपरान्त प्रकाशित किया जाएगा। इस समिति में जिला मजिस्टेट/मुख्य विकास अधिकारी, उप निदेशक, कृषि विभाग, एल.डी.एम. एवं सचिव/मुख्य कार्यपालक अधिकारी जिला सहकारी बैंक लि0 सदस्य होंगे। अन्य विभागों से संबंधित प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जा सकता है।

परियोजना पूर्ण होने की अवधि:- तीन माह (अधिकतम)।

7- योजना के सफल होने पर आगामी वर्षो में इसी अनुदान पैटर्न पर योजना का क्रियान्वयन किया जाना प्रस्तावित है।

8- योजनान्तर्गत बैंक को अग्रिम अनुदान का भुगतान विभाग द्वारा किया जाएगा। साथ ही अग्रिम अनुदान देने से होने वाली बचत की धनराशि का उपयोग चयनित अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण के लिए किया जा सकेगा। योजना का मिड टर्म इवेल्यूएशन अगले वर्ष कराया जाएगा।

9- कृपया उक्तानुसार परियोजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अमित मोहन प्रसाद)
प्रमुख सचिव।

संख्या-1681(1)/12-3-2015-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, सहकारिता विभाग, उत्तर प्रदेश, शासन।
2. मुख्य महाप्रबन्धक (नाबार्ड), गोमतीनगर, लखनऊ।
3. निदेशक, राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान, रहमानखेड़ा, लखनऊ।
4. अपर कृषि निदेशक (प्रसार), कृषि भवन, लखनऊ।

आज्ञा से,

(इन्द्रदेव पटेल)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in